भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 962
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

962. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः
श्री मनीष जायसवालः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ी केंद्र देश में एक प्रकार के ग्रामीण शिशु देखभाल केंद्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों में चल रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार ऐसे कुल कितने भवनों की पहचान की गई है जिन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है;
(ङ) देश में पृथक रूप से स्थायी और किराए के भवनों से संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
(च) क्या देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक/उन्नत बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आवंटित जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं, अर्थात पूरक पोषण (एसएनपी), विद्यालय-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाओं का एक पैकेज प्रदान

किया जाता है। छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं देशभर में पात्र पंजीकृत लाभार्थियों, अर्थात 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को तथा राज्यों के आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ समन्वय में 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण हेतु निधि का उपयोग जारी रखने की सलाह भी दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में किराए के भवनों में संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को उन निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में सह-स्थापित किया जाए, जहां स्थान उपलब्ध हो। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थापित करने हेतु शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जनजातीय जनसंख्या के लक्षित विकास हेतु पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण के लिए तथा उत्तरी सीमा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) – चरण-I के तहत अन्य विभिन्न पहलें की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति केंद्र ₹17,000/- तथा शौचालय निर्माण हेतु प्रति केंद्र ₹36,000/- की दर से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधि प्रदान की जाती है। देश भर में, कुल 1,58,966 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा 1,42,522 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

देश में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वयं के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या पोषण ट्रैकर सार्वजनिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी एवं उपयोग की गई निधि का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(च): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, उन्नत पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को 15वें वित्त आयोग की अवधि में सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ियों को एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री एवं बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड (बाला) पेंटिंग जैसी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दिनांक 10.07.2026 तक उन्नयन हेतु देशभर में 1232.65 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है, जिसमें से 836.27 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

अनुलग्नक

'आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण' के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न 962 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24		2024-25		2025-26
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.15	11.06	9.63	9.21	8.10
2	आंध्र प्रदेश	705.68	734.52	645.73	641.23	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	162.06	139.34	102.61	99.58	118.5
4	असम	2233.31	2804.16	2482.34	2605.14	1548.67
5	बिहार	1859.29	1703.55	2262.92	1659.24	905.43
6	चंडीगढ़	19.79	19.26	14.56	14.31	9.87
7	छत्तीसगढ़	579.46	664.31	733.30	730.29	518.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11.97	11.57	9.13	9.07	5.92
9	दिल्ली	161.81	135.31	160.41	152.34	150.21
10	गोवा	13.95	12.22	13.44	11.52	19.74
11	गुजरात	1126.80	658.81	601.32	598.35	699.13
12	हरियाणा	225.78	183.94	232.69	212.49	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	301.09	146.69	313.07	311.04	328.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	530.88	595.21	662.79	634.78	401.62
15	झारखंड	664.30	560.25	496.95	465.21	429.26
16	कर्नाटक	912.96	729.26	886.85	875.36	863.64
17	केरल	306.64	359.22	435.74	429.54	283.81
18	लद्दाख	19.62	18.06	18.89	18.49	16.41
19	लक्षद्वीप	2.88	2.73	1.35	1.24	0.82
20	मध्य प्रदेश	1123.11	1048.42	1144.54	1123.54	937.45
21	महाराष्ट्र	1699.52	1219.66	1368.84	1354.26	1405.45
22	मणिपुर	201.28	224.68	342.87	316.82	199.99
23	मेघालय	269.69	193.30	137.93	135.26	182.04
24	मिजोरम	100.27	72.19	55.29	54.26	52.69
25	नागालैंड	262.91	209.24	147.01	146.32	146.29
26	ओडिशा	968.80	891.06	948.16	906.51	911.27
27	पुद्दुचेरी	4.48	8.35	3.68	3.65	4.02
28	पंजाब	307.87	220.55	265.48	262.45	190.73
29	राजस्थान	1091.96	880.87	741.85	735.82	843.51
30	सिक्किम	33.49	23.77	18.07	18.02	18.21
31	तमिलनाडु	880.79	662.40	638.47	632.41	636.6
32	तेलंगाना	507.87	522.99	430.76	419.75	209.2
33	त्रिपुरा	244.22	211.20	153.41	145.25	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2668.69	2510.27	2694.62	2498.26	2145.42
35	उत्तराखंड	288.24	426.34	216.33	207.52	271.05
36	पश्चिम बंगाल	1237.56	1522.40	1513.80	1497.52	1333.9